रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936
No. 172] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि 240 (अ).----केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, धारा 175, धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 184, धारा 185, धारा 186, धारा 187, धारा 188, धारा 189 और धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्ररूप अथवा इन नियमों के अधीन आने वाले विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित किसी अन्य नियम का, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित फीस अभिप्रेत है;

(क) "प्ररूप" अथवा "ई-प्ररूप" से इन नियमों के उपाबंध में दिया प्ररूप अभिप्रेत है जिसका उपयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) शब्दों और पदों को जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं ,के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. वीडियो सम्मेलन अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से बोर्ड की बैठकें – वीडियो सम्मेलन अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से बोर्ड की बैठकें आयोजित और संचालित करने के लिए कोई कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी:

(1) प्रत्येक कंपनी वीडियो अथवा श्रव्य-दृश्य संपर्क टूटने से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी।

(2) बैठक का अध्यक्ष और कंपनी सचिव, यदि कोई हो, निम्नलिखित का सम्यक् और तर्कसंगत ध्यान रखेगा –

(क) पर्याप्त सुरक्षा और पहचान प्रक्रियाएं सुनिश्चित करते हुए बैठक की सत्यनिष्ठा की सुरक्षा उपाय करना;

(ख) बोर्ड की बैठक में निदेशकों और अन्य प्राधिकृत भागीदारों की प्रभावी भागीदारी के लिए संसूचना के संप्रेषण सुगम करने के लिए उपयुक्त वीडियो सम्मेलन अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य उपकरण अथवा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ग) बैठक की कार्यवाही अभिलिखित करना और कार्यवृत्त तैयार करना;

(घ) कम से कम विशिष्ट वर्ष की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के समय कंपनी के अभिलेख भाग के रूप में टेप रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मैकेनिजम के सुरक्षित रखने और चिह्नांकन के लिए भंडारित करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि वीडियो सम्मेलन मोड अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से बैठक की कार्यवाही में संबंधित निदेशक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भाग नहीं ले रहा है अथवा उसकी वहां तक पहुंच नहीं है; और

(च) यह सुनिश्चित करना कि बैठक में भाग ले रहे भागीदार दूसरे भागीदारों को बैठक के अनुक्रम में श्रव्य-दृश्य माध्यम से स्पष्ट रूप से सुन और देख सकें:

परंतु व्यक्ति जो नि:शक्त व्यक्ति है अपने साथ किसी व्यक्ति को लाने के लिए अनुज्ञात करने का बोर्ड से अनुरोध कर सकेगा।

(3) (क) अधिनियम की धारा 173 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार बैठक की सूचना सभी निदेशकों को भेजी जाएगी।

(ख) बैठक की सूचना निदेशकों को वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से भाग लेने के लिए उनके पास उपलब्ध विकल्प के बारे में सूचित करेगा, और वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से भाग लेने के लिए निदेशकों को समर्थ करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी देगा।

(ग) वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से भाग लेने को इच्छुक निदेशक अपने आशय की संसूचना अध्यक्ष अथवा कंपनी के कंपनी सचिव को देगा।

(घ) यदि निदेशक वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से भाग लेने का आशय रखता है तो वह अपने इस आशय की पूर्व संसूचना इस तरह देगा कि कंपनी इस निमित्त उपयुक्त व्यवस्थाएं कर सकें।

(ङ) भागीदारी का इच्छुक निदेशक, जो इलेक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से भाग लेने की वांछा करता है, अपने आशय की संसूचना, कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में देगा और ऐसी घोषणा एक कैलेंडर वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।

(च) खंड (ग) के अधीन किसी संसूचना के अभाव में, माना जाएगा कि निदेशक व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेगा।

(4) बैठक के प्रारंभ में, अध्यक्ष द्वारा सूची के सभी निदेशकों का नाम लेगा और जब वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से भाग ले रहा प्रत्येक निदेशक, अभिलेखन के लिए निम्नलिखित अभिकथित करेगा, अर्थात्:—

IndiaCode

(क) नाम;

(ख) स्थान, जहां से वह भाग ले रहा है;

(ग) यह कि उसे कार्यसूची और बैठक से संबंधित सभी संगत सामग्री प्राप्त हो गई है; और

(घ) यह कि खंड (ख) में उल्लिखित स्थान पर संबंधित निदेशक के अतिरिक्त कोई अन्य भाग नहीं ले रहा है अथवा किसी अन्य की पहुंच कार्यवाही तक नहीं है;

(5) (क) सूची पुकारने के पश्चात्, अध्यक्ष अथवा कंपनी सचिव, बोर्ड को निदेशकों से भिन्न बैठक में भाग ले रहे उन व्यक्तियों के नाम की जानकारी देगा जो अध्यक्ष के अनुरोध अथवा उनकी अनुमति से बैठक में उपस्थित हैं और यह पुष्टि करेगा कि अपेक्षित कोरम पूरा है।

स्पष्टीकरण - वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से बैठक में भाग ले रहे निदेशक को कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा, जब तक कि उसे अधिनियम अथवा नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कार्यवाही की किसी मद से बाहर न रखा गया हो।

(ख) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित कोरम संपूर्ण बैठक के दौरान उपस्थित रहे।

(6) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से संचालित प्रत्येक बैठक के संबंध में बैठक आयोजित करने की सूचना में दिया हुआ बैठक का निर्धारित स्थान, जो भारत में होगा, उक्त बैठक का स्थान माना जाएगा और बैठक की कार्यवाही की सभी रिकॉर्डिंग ऐसे स्थान पर की गई रिकॉर्डिंग मानी जाएगी।

(7) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सांविधिक रजिस्टर बैठक के अनुसूचित स्थान पर रखे किए जाएंगे और जहां ऐसे रजिस्टरों पर निदेशकों का हस्ताक्षर अपेक्षित है, वहां इसे इलेक्ट्रॉनिक रीति से भाग ले रहे निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित माना जाएगा, यदि उन्होंने इस आशय की अपनी सहमति दी हो और यह बैठक के कार्यवृत्त में इस प्रकार अभिलिखित हो।

(8) (क) प्रत्येक भागीदार कार्यसूची में शामिल विषय की किसी मद पर बोलने से पहले अभिलेख के लिए अपनी पहचान बताएगा।

(ख) यदि किसी निदेशक का कोई कथन बैठक में वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से बाधित या विकृत होता है तो अध्यक्ष अथवा कंपनी सचिव, निदेशक से अपनी बात पुनः कहने या दोहराने का अनुरोध करेगा।

(9) यदि किसी प्रस्ताव पर आक्षेप दर्ज की जाती है और मत विभाजन आवश्यक होता है तो अध्यक्ष एक-एक कर नाम पुकारेगा और मत देने से पहले अपनी पहचान बताते हुए प्रत्येक निदेशक अपना निर्णायक मत देगा।

(10) बैठक के प्रारंभ से और ऐसी बैठक की समाप्ति होने तक अध्यक्ष, निदेशकों, कंपनी सचिव और बोर्ड द्वारा उपस्थिति हेतु अपेक्षित किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति जिसकी उपस्थिति ऐसे स्थान पर अपेक्षित है, बोर्ड द्वारा जाने को अनुज्ञात होगा जहां कोई निदेशक व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो सम्मेलन के माध्यम से भाग ले रहा है।

(11) (क) प्रत्येक कार्यसूची मद पर चर्चा के अंत में बैठक का अध्यक्ष उस मद पर लिए गए निर्णय के सार की घोषणा करेगा और साथ ही, बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय से भिन्न राय रखने वाले निदेशकों, यदि कोई हो, के नामों की भी घोषणा करेगा।

(ख) कार्यवृत्त में वीडियो सम्मेलन रीति अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से भाग लेने वाले निदेशकों के ब्यौरों का प्रकटीकरण भी होगा।

(12) (क) बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त बैठक के पंद्रह दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सभी निदेशकों के मध्य परिचालित किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक निदेशक जिसने बैठक में, चाहे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो सम्मेलन अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से भाग लिया हो, प्रारूप कार्यवृत्त की प्राप्ति के पश्चात् सात दिनों अथवा बोर्ड द्वारा यथा विनिश्चित युक्त-युक्त समय के भीतर, प्रारूप कार्यवृत्त में उस विशेष बैठक की कार्यवाहियों की अभिलेखन की शुद्धता के बारे में पुष्टि करेगा अथवा लिखित में अपनी टिप्पणियां देगा अन्यथा यह माना जाएगा कि उसने कार्यवृत्त अनुमोदित कर दिया है।

(ग) बैठक पूर्ण होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 118 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कार्यवृत्त बही में कार्यवृत्त की प्रविष्टि की जाएगी और उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, "वीडियो सम्मेलन अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम" से प्रयोग में लाए गए श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संवाद सुविधाएं अभिप्रेत है जो बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी मध्यवर्ती के आपस में संवाद करने और बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने में समर्थ करते हैं ।

4. वीडियो सम्मेलन अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से होने वाली बैठक में विचार नहीं किए जाने वाले मामले – (1) वीडियो सम्मेलन अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से आयोजित किसी बैठक में निम्नलिखित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा –

(i) वार्षिक वित्तीय विवरणी का अनुमोदन;

(ii) बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन;

(iii) प्रास्पेक्टस का अनुमोदन;

(iv) लेखों पर विचार के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकें; और

(v) समामेलन, विलय, डीमर्जर, अधिग्रहण और ग्रहण करना।

5. परिचालन द्वारा संकल्प पारित करना – प्ररूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसके अंतर्गत ई-मेल और फैक्स भी है, संकल्प को निदेशकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजों के साथ परिचालित किया जा सकेगा ।

6. बोर्ड की समितियां – कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों के निदेशक मंडल एक लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की एक नाम-निर्देशन तथा पारिश्रमिक समिति गठित करेंगे–

(क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;

(ख) दस करोड़ रुपए या अधिक की समादत्त पूंजी वाली सभी पब्लिक कंपनियां;

(ग) एक सौ करोड़ रुपए या अधिक के व्यापारावर्त वाली सभी पब्लिक कंपनियां; और

(घ) सकल पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक के बकाया ऋणों अथवा उधार लेने वाली अथवा डिबेंचरों अथवा निक्षेपों वाली सभी पब्लिक कंपनियां ।

स्पष्टीकरण – अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी की तारीख को यथा विद्यमान यथास्थिति, समादत्त शेयर पूंजी अथवा व्यापारावर्त अथवा बकाया ऋण अथवा उधार देने वाली अथवा डिबेंचर अथवा निक्षेप, पर इस नियम के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा ।

7. सतर्कता तंत्र की स्थापना – (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और निम्नलिखित वर्ग या वर्गों की कंपनियां उनके निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा अपने वास्तविक सरोकारों और शिकायतें बताने के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना करेंगी-

(क) जनता से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियां; अथवा

(ख) कंपनियां जिन्होंने बैंकों और पब्लिक वित्तीय संस्थाओं से पचास करोड़ रुपए से अधिक राशि उधार ली है ।

(2) कंपनियां जिनके लिए लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित है वह समिति के माध्यम से सतर्कता तंत्र का पर्यवेक्षण करेगी और यदि किसी दिए गए मामले में समिति के सदस्यों के हितों का टकराव है तो उन्हें स्वयं को इस मामले से अलग रखना चाहिए और समिति के अन्य सदस्यों को इस पर विचार करने देना चाहिए ।

(3) अन्य कंपनियों की दशा में, निदेशक मंडल सतर्कता तंत्र के प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा समिति की भूमिका अदा करने का किसी निदेशक को नामनिर्दिष्ट करेगा जिसे अन्य निदेशक और कर्मचारी अपने सरोकारों से अवगत कराएंगे ।

(4) सतर्कता तंत्र कर्मचारियों और निदेशकों, जो सतर्कता तंत्र का उपयोग करेंगे, के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएगा और असाधारण मामलों में उन्हें यथास्थिति, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष अथवा लेखापरीक्षा समिति की भूमिका के लिए नामनिर्दिष्ट निदेशक, तक सीधे पहुंच भी उपलब्ध कराएगा ।

(5) किसी निदेशक अथवा किसी कर्मचारी द्वारा बार-बार तुच्छ शिकायतें फाइल किए जाने की दशा में, लेखापरीक्षा समिति अथवा लेखापरीक्षा समिति की भूमिका अदा करने के लिए नामित निदेशक संबंधित निदेशक अथवा कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई जिसके अंतर्गत धिग्दंड भी है, कर सकेगी ।

8. बोर्ड की शक्तियां – अधिनियम की धारा 179 की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त निदेशक मंडल द्वारा केवल बोर्ड की बैठकों में पारित संकल्पों के माध्यम से निम्नलिखित शक्तियों का भी उपयोग किया जाएगा-

1. राजनीतिक अभिदाय करना;
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (प्र.प्र.का.) को नियुक्त करना अथवा हटाना;
3. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से एक स्तर नीचे की नियुक्तियों अथवा बर्खास्तगियों की टिप्पण प्राप्त करना;
4. आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त करना;
5. निदेशकों के हितों और शेयर धारकों के प्रकटीकरण टिप्पण प्राप्त करना;
6. कंपनी द्वारा निवेश कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी और निवेशिती कंपनी की खुली आरक्षिती के पांच प्रतिशत या अधिक के गठित निवेशों (व्यापार निवेशों से भिन्न) की खरीद, बिक्री करना;
7. पब्लिक जमा स्वीकार करना अथवा पुनर्नवीकरण तथा संबंधित मामले;
8. पब्लिक जमा की निबंधनों और शर्तों की पुनःविलोकन अथवा उनमें परिवर्तन;
9. यथास्थिति, तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणी और वित्तीय परिणाम, का अनुमोदन करना।

9. किसी निदेशक द्वारा अपने हितों का प्रकटीकरण – (क) प्रत्येक निदेशक प्ररूप एमबीपी 1 में लिखित सूचना देते हुए, किसी कंपनी अथवा कंपनियों अथवा कारपोरेट निकायों (जिसके अंतर्गत शेयर नियंत्री हित भी है), फर्मों अथवा व्यक्तियों के अन्य संगमों में अपने संबंध अथवा हित के प्रकटीकरण करेगा ।

(ख) हित की सूचना देने वाले निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना की तारीख के ठीक पश्चात् आयोजित बैठक में इसका प्रकटीकरण करवाएं ।

(ग) सभी सूचनाएं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी और ऐसी सूचनाएं उससे संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से आठ वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी और इस उद्देश्य से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कंपनी के कंपनी सचिव अथवा किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखे जाएंगे ।

10. धारा 185 के अधीन निदेशक आदि को ऋण – (1) किसी नियंत्री कंपनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को दिया गया कोई ऋण अथवा कोई प्रत्याभूति अथवा नियंत्री कंपनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के लिए किसी ऋण के संबंध में दी गई किसी प्रतिभूति को इस धारा के अधीन अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है; और

(2) किसी नियंत्री कंपनी द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनी के लिए किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में दी गई प्रत्याभूति अथवा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति को इस धारा के अधीन अपेक्षाओं से छूट प्राप्त हैः

परंतु ऐसे ऋणों का उपयोग अनुषंगी कंपनी द्वारा अपने प्रमुख व्यवसाय गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

11. अधिनियम की धारा 186 के अधीन किसी कंपनी द्वारा ऋण और निवेश – (1) जहां किसी कंपनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अथवा किसी संयुक्त उपक्रम कंपनी को ऋण अथवा प्रत्याभूति दी जाती है अथवा प्रतिभूति उपलब्ध कराई जाती है अथवा किसी नियंत्री कंपनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी

कंपनी का अंशदान, खरीद अथवा किसी अन्य तरीके से अधिग्रहण किया जाता है तो धारा 186 की उपधारा (3) की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगीः

परंतु कंपनी ऐसे ऋण अथवा प्रत्याभूति अथवा प्रतिभूति अथवा अधिग्रहण के ब्यौरे धारा 186 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकट करेगी ।

(2) धारा 186 की उपधारा (11) के खंड (क) के प्रयोजन के लिए, "कंपनी के वित्तपोषण का व्यवसाय" पद के अंतर्गत में, भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के संबंध में, "अपने व्यवसाय के सामान्य परिचालन में किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी ऋण की विहित पुनः संदाय के लिए किसी व्यक्ति को ऋण देने अथवा कोई प्रत्याभूति या प्रतिभूति उपलब्ध कराने का व्यवसाय" भी है ।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित कंपनियों के ऐसे वर्ग अथवा वर्गों के अधीन आने वाली कंपनियां भी ऐसी कंपनियों पर लागू विनियमों, जिसके अनुसरण में इसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई अंतर कारपोरेट ऋण अथवा जमा प्राप्त नहीं करेंगी।

12. रजिस्टर – (1) ऋण देने अथवा प्रत्याभूति देने अथवा प्रतिभूति उपलब्ध कराने अथवा प्रतिभूति का अधिग्रहण करने वाली प्रत्येक कंपनी अपने निगमन की तारीख से प्ररूप एमबीपी 2 में एक रजिस्टर रखेगी और उसमें ऋणों, दी गई प्रत्याभूतियां, उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों और ऊपर कथित अधिग्रहणों की अलग-अलग प्रविष्टियां करेगी ।

(2) प्रत्येक ऐसे संव्यवहार के संबंध में इस प्रकार दिए गए ऋणों अथवा दी गई प्रत्याभूति का अथवा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति अथवा किए गए अधिग्रहण के सात दिनों के भीतर कालक्रमानुसार रजिस्टर में प्रविष्टियां की जाएंगी।

(3) रजिस्टर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और यह रजिस्टर स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कंपनी के कंपनी सचिव अथवा इस उद्देश्य से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(4) रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां (चाहे वह हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक) कंपनी के कंपनी सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत होगी।

(5) उपनियम (4) के प्रयोजनार्थ यह रजिस्टर या तो हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रीति में रखा जाएगा।

(6) धारा 186 की उपधारा (9) के अधीन रखे गए रजिस्टर के सार कंपनी के अनुच्छेदों में यथा विहित फीस, जो प्रति पृष्ठ दस रुपए से अधिक नही होगा, की संदाय पर कंपनी के किसी सदस्य को उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।

13. विशेष संकल्प – (क) जहां अब तक उपलब्ध कराई गई प्रत्याभूति अथवा प्रतिभूति के लिए राशि, ऋण अथवा निवेश का कुल अथवा अन्य कारपोरेट निकायों में बोर्ड द्वारा दिए जाने अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित निवेश, ऋण, प्रत्याभूति अथवा प्रतिभूति की कुल राशि, धारा 186 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो, वहां जब तक कि आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा पूर्व में प्राधिकृत न हो तब तक कोई निवेश अथवा ऋण नहीं दिया जाएगा अथवा प्रत्याभूति नहीं दी जाएगी अथवा प्रतिभूतियां उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुपालन पर्याप्त होगा यदि ऐसा विशेष संकल्प इस धारा की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर पारित हो जाए।

(2) धारा 186 की उपधारा (2) के अधीन ई ऋण अथवा प्रत्याभूति अथवा निवेश देने अथवा कोई प्रतिभूति अथवा अधिग्रहण उपलब्ध कराने के लिए धारा 186 की उपधारा (3) के अनुरूप साधारण बैठक में पारित किसी प्रस्ताव में यह विनिर्दिष्ट होगा कि निदेशक मंडल कितनी राशि के ऐसे ऋण अथवा प्रत्याभूति दे सकता है अथवा प्रतिभूति उपलब्ध करा सकता है अथवा ऐसा अधिग्रहण कर सकता है।

परंतु कंपनी धारा 186 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार वित्तीय विवरण में सदस्यों के समक्ष पूरे ब्यौरे का प्रकटीकरण करेगी ।

14. कंपनी द्वारा अपने नाम में रखे गए निवेश – (1) प्रत्येक कंपनी अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्ररूप एमबीपी 3 में एक रजिस्टर रखेगी और उसमें कंपनी द्वारा लाभदायक रूप से रखे गए ऐसे शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का कालक्रमानुसार ब्यौरा रखेगी जो इसके अपने नाम में नहीं है और कंपनी अपने नाम में नहीं रखने के कारणों, संबंध और संविदा जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम निवेश रखे गए हैं, को भी अभिलिखित करेगी।

(ख) कंपनी यह भी अभिलेखित करेगी कि क्या ऐसे निवेश कुछ समय के लिए अथवा अन्यथा किसी तीसरे अन्य पक्ष के नाम रखे गए हैं।

(ग) यह रजिस्टर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और यह रजिस्टर स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कंपनी के कंपनी सचिव अथवा इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(घ) रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां कंपनी के कंपनी सचिव अथवा इस उद्देश्य से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित होंगी।

15. किसी संबंधित पक्ष के साथ संविदा अथवा व्यवस्था – कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई संविदा अथवा व्यवस्था कर सकेगी:-

(1) बोर्ड की जिस बैठक में यह संकल्प रखे जाने का प्रस्ताव है उसकी कार्यसूची में निम्नलिखित प्रकट किया जाएगा-

(क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति;

(ख) संविदा की प्रकृति, अवधि और संविदा अथवा व्यवस्था के ब्यौरे;

(ग) संविदा अथवा व्यवस्था के मूल्य, यदि कोई हो, सहित वास्तविक शर्तें;

(घ) संविदा अथवा व्यवस्था के लिए अदा की गई अथवा प्राप्त कोई अग्रिम, यदि कोई हो;

(ङ) मूल्य निर्धारण तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तें निर्धारित करने के तरीके, दोनों संविदा के भाग के रूप में शामिल किंतु, संविदा के भाग के रूप में विचार नहीं किए गए;

(च) क्या संविदा से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो इन कारकों पर विचार नहीं करने के औचित्य के साथ विचार नहीं किए गए कारकों के ब्यौरे; और

(छ) प्रस्तावित सौदे पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के लिए संगत अथवा महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना।

(2) जहां कोई निदेशक किसी संबंधित पक्ष के साथ किसी संविदा अथवा व्यवस्था में रुचि रखता है, वहां ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित संकल्प की विषय-वस्तु पर चर्चा के दौरान बैठक में ऐसा निदेशक उपस्थित नहीं होगा ।

(3) धारा 188 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के प्रयोजन के लिए, किसी विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर -

(i) दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की कोई कंपनी किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई संविदा अथवा व्यवस्था नहीं करेगी; अथवा

(ii) कोई कंपनी कोई सौदा या सौदे नहीं करेगी जहां किए जाने वाला सौदा या किए जाने वाले सौदे –

(क) निम्नलिखित मानकों सहित धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ङ) के संबंध में संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के रूप में सौदे हों-

(i) सीधे अथवा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से धारा 188 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (क) और खंड (ङ) में यथाउल्लिखित वार्षिक टर्नओवर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक माल अथवा सामग्री की बिक्री, खरीद अथवा आपूर्ति;

(ii) सीधे अथवा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से धारा 188 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (ख) और खंड (ङ) में यथाउल्लिखित निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक संपत्ति की बिक्री अथवा अन्यथा निपटान अथवा खरीद;

(iii) धारा 188 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (ग) में यथाउल्लिखित निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक अथवा टर्नओवर के दस प्रतिशत से अधिक के किसी प्रकार की संपत्ति का पट्टा;

(iv) सीधे अथवा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से धारा 188 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (घ) और खंड (ङ) में यथाउल्लिखित निवल मूल्य की दस प्रतिशत से अधिक मूल्य के किसी सेवा का उपयोग अथवा सेवा प्रदान करना;

(ख) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (च) में यथाउल्लिखित कंपनी अथवा इसकी अनुषंगी कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी में दो लाख पचास हजार से अधिक के मासिक पारिश्रमिक पर किसी कार्यालय अथवा लाभ के पद पर नियुक्ति; अथवा

(ग) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (छ) में यथाउल्लिखित निवल मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक पर कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों अथवा उसके व्युत्पत्तियों के अंशदान की हामीदारी के लिए पारिश्रमिक।

स्पष्टीकरण – (1) उपर्युक्त उप-नियमों में संदर्भित टर्नओवर अथवा निवल मूल्य पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर होगा।

(2) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के मामले में नियंत्री कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प पूर्ण स्वामित्व वाली अनुंषगी और नियंत्री कंपनी के मध्य समझौतों के उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा।

(3) धारा 101 के अनुसरण में आयोजित आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न किए जाने वाले स्पष्टीकरण विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगे:-

(क) संबंधित पक्ष का नाम;

(ख) संबंधित निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम, यदि कोई हो;

(ग) संबंध की प्रकृति;

(घ) संविदा अथवा व्यवस्था की प्रकृति, भौतिक शर्तें, मौद्रिक मूल्य और ब्यौरे;

(ङ) प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए संगत अथवा महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना।

16. संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं, जिनमें निदेशकों का हित हो, का रजिस्टर – (1) प्रत्येक कंपनी प्ररूप एमबीपी 4 में एक या अधिक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्नलिखित ब्यौरों की प्रविष्टियां करेंगी –

(क) कंपनी अथवा कंपनियां अथवा कारपोरेट निकाय, फर्म अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ जिसमें, धारा 184 की उपधारा (1) के अधीन यथाउल्लिखित, किसी निदेशक का कोई हित होः

परंतु उस कंपनी अथवा कंपनियों अथवा कारपोरेट निकायों के ब्यौरे की प्रविष्टि रजिस्टर में अपेक्षित नहीं होगी जिसमें कोई निदेशक किसी अन्य निदेशक के साथ प्रदत्त शेयर पूंजी के दो प्रतिशत या उससे कम शेयर रखता है;

(ख) धारा 184 की उपधारा (2) के अधीन यथाउल्लिखित कारपोरेट निकाय अथवा फर्म अथवा अन्य निकाय जिसमें किसी निदेशक का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध अथवा हित है, के साथ संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं; और

(ग) जिन संव्यवहारों पर धारा 188 लागू होती है उसके संबंध में संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं अथवा ठहराव।

(2) रजिस्टर में प्रविष्टियां एक बार ही कालानुक्रम में की जाएंगी, जब भी ऐसी प्रविष्टि करने का कारण हो, और कंपनी के कंपनी सचिव अथवा इस प्रयोजन से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होंगी।

(3) यह रजिस्टर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और यह रजिस्टर स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कंपनी के कंपनी सचिव अथवा इस उद्देश्य से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(4) कंपनी रजिस्टर के अंश कंपनी के अनुच्छेदों में यथा विहित फीस, जो प्रति पृष्ठ दस रूपए से अधिक नहीं होगा, के संदाय पर कंपनी के किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर ऐसे अनुरोध की तारीख से सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगी ।

17. उपक्रम, संपत्ति अथवा शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में कार्यालय की क्षति हेतु निदेशक को संदाय, आदि – (1) कंपनी का कोई निदेशक उपधारा (1) में उल्लिखित किसी घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति द्वारा कोई संदाय प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि कंपनी के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित प्रकटीकरण नहीं करता है और वे ऐसे रकम का संदाय करते हुए साधारण बैठक में एक संकल्प पारित करते हैं :—

(क) निदेशक का नाम;

(ख) संदाय हेतु प्रस्तावित रकम;

(ग) वह कारण जिसके लिए क्षतिपूर्ति देय हुई;

(घ) ऐसे संदाय की अनुशंसा करने वाली बोर्ड की बैठक की तारीख;

(ङ) अवधारित रकम का आधार;

(च) संदाय का कारण अथवा औचित्य;

(छ) संदाय का तरीका - क्या नकद दिया जाएगा अथवा किसी अन्य तरीके से और कैसे;

(ज) संदाय के स्रोत; और

(झ) कोई अन्य संगत ब्यौरे जो बोर्ड के विचार में उपयुक्त हों।

(2) कंपनी के किसी प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक को कार्यालय की क्षति अथवा सेवानिवृत्ति के संबंध में सेवानिवृत्त पर विचार करते हुए अथवा ऐसी क्षति अथवा सेवानिवृत्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी द्वारा किया गया कोई संदाय धारा 202 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।

(3) कंपनी के किसी प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक को कार्यालय की क्षति अथवा कार्यालय से सेवानिवृत्ति पर विचार करते हुए (ऐसे निदेशक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति की शर्त के अनुसार सूचना संदाय अथवा सांविधिक संदाय, जैसा भी लागू हो, को छोड़कर) अथवा ऐसी क्षति अथवा सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई संदाय नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) कंपनी द्वारा सार्वजनिक जमा का पुनः संदाय अथवा उस पर ब्याज के संदाय में चूक की गई हो;

(ख) कंपनी द्वारा ऋणपत्रों की ऋणिमुक्ति अथवा उस पर ब्याज के संदाय में चूक की गई हो;

(ग) कंपनी द्वारा किसी बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान को देय किन्हीं देयताओं, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, के पुनः संदाय में चूक की गई हो;

(घ) कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार, सांविधिक प्राधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय आयकर, वैट, उत्पाद फीस, सेवाकर अथवा किसी अन्य कर अथवा किसी भी नाम से ज्ञात फीस, के किसी बकाये के संदाय में चूक की गई हो (उन मामलों को छोड़कर जहां कंपनी ने ऐसे बकायों की संदाय की देयता का विरोध किया हो);

(ङ) कंपनी के कर्मचारियों और मजदूरों को देय सांविधिक बकाया हों जो कंपनी द्वारा संदत्त नहीं किए गए हों (उन मामलों को छोड़कर जहां कंपनी ने ऐसे बकायों के संदाय की देयता का विरोध किया हो); और

IndiaCode

(च) कंपनी ने अधिमान शेयरों पर लाभांश नहीं दिया गया है अथवा शोध्य तारीख को अधिमान शेयरों का मोचन न किया हो।

उपाबंध

कंपनी अधिनियम 2013 ,के अध्याय के लिए प्ररूप नियम आईआरओ प्ररूप 12

प्ररूप एमबीपी-1

निदेशकों द्वारा हित का नोटिस

[धारा (1)184और नियम (1)9के अनुसरण में]

सेवा में,

निदेशक मंडल
लिमिटेड.....

प्रिय महोदय,

मैं,पुत्रकंपनी के निदेशक के तौर पर एतदद्वारानिवासी.....पति/पत्नी/पुत्री/ नोटिस देता हूं फर्मों या व्यक्तियों के समूहों में अपनी हित या सरोकार का ,निगमित निकायों ,निम्नलिखित कंपनी या कंपनियों:

क्र. सं.	**कंपनियों/निगमित निकाय/फर्मों/व्यक्तियों के समूहों के नाम**	हित या सरोकार की प्रकृति हित या/ सरोकार में परिवर्तन	शेयरधारिता	जिस तारीख को हित या सरोकार उत्पन्न / परिवर्तित हुआ

हस्ताक्षरः

स्थानः

तारीखः

प्रबंधनिदेशक/निदेशक/सचिव/पूर्णकालिक निदेशक

IndiaCode

प्ररूप एमबीपी2-

कंपनी द्वारा जुटाए गए ऋण, प्रत्याभूति, प्रतिभूति तथा अधिग्रहण का रजिस्टर

[धारा (9)186तथा नियम (1)12के अनुसरण में]

संव्यहार की प्रकृति (क्या ऋण/ प्रत्याभूति/प्रतिभूति/अधिग्रहण है)	ऋण /अधिग्रहण लेने/ प्रतिभूति प्रदान /प्रत्याभूति देने करने की तारीख	व्यक्ति या निगमित निकाय का नाम और पताजिसकों , यह दिया गया या जिसकी प्रतिभूतियां अधिग्रहित की गई	ऋण /अधिग्रहण/प्रतिभूति/ प्रत्याभूति की राशि	जिस समय-वधि के **लिए** यह दिया गया	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ऋण/ अधिग्रहण/ प्रत्याभूति/ प्रतिभूति/ का उद्देश्य	ऋण अधिग्रहण का : प्रदत्त पूंजी मुक्त रिजर्व तथा प्रतिभूति प्रीमियम लेखों पर दी गई प्रत्याभूति/प्रतिभूति का/प्रदर्शन तथा मुक्त रिजर्व % तथा प्रतिभूति प्रीमियम	बोर्ड संकल्प पारित करने की तारीख	विशेष संकल्प पारित करने की तारीख यदि अपेक्षित हो	ऋण के लिए	
				ब्याज की दर	परिप-क्वता तारीख
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अधिग्रहण के लिए					
प्रतिभूतियों की संख्या और प्रकार	सांकेतिक मूल्य और प्रदत्त पूंजी	अधिग्रहण की लागत (प्रति-भूतियों के) मामले में खरीद मूल्य की गणना कैसे की गई	निवेश बिक्री की तारीख	विक्रय मूल्य मूल्य) की गणना कैसे की (गई	हस्ताक्षर और टिप्प-णियां
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

हस्ताक्षरः
प्रबंधनिदेशक/निदेशक/सचिव/पूर्णकालिक निदेशक

स्थानः
तारीखः

IndiaCode

प्ररूप एमबीपी3-

कंपनी द्वारा अपने नाम पर न किए गए निवेशों का रजिस्टर

[धारा (3)187और नियम (1)14के अनुसरण में]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कंपनी या निगमित निकाय का ना , जिसमें निवेश किया गया	प्रतिभूतियों का वर्ग	प्रतिभूतियों की संख्या	ग्राहक की आईडी/डीपी सं.	प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों का प्रदत्त मूल
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अधिग्रहण की लागत	निपटान की तारीख	निपटाई गई प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेष संतुलित प्रतिभूतियां , यदि कोई हो	टिप्पणियां यदि कोइ हो
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

हस्ताक्षरः

प्रबंधनिदेशक/निदेशक/सचिव/पूर्णकालिक निदेशक

स्थानः

तारीखः

IndiaCode

प्ररूप एमबीपी4-

संबंधित पक्ष के संविदा रजिस्टर तथा संविदा और निकाय आदि जिसमें निदेशकों का हित है

[धारा (1)189और नियम (1)16के अनुसरण में**]**

(क) धारा 188 के तहत संबद्ध पक्ष के संविदा या करार या धारा 184 की उपधारा (2) के अधीन जिसमें किसी निदेशक का सरोकार या हित है।

संविदाठहराव की तारीख/	कंपनी का नाम जिसके साथ संविदा की गई	संबद्ध निदेशक का नाम	निदेशककंपनी के / साथ संबंध सरोकार या हित की प्रकृति	मूल शर्तें और नियम	क्या संव्यवहार कम अवधि के लिए किया गया है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बोर्ड की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने की तारीख	उक्त संकल्प पर मतदान के ब्यौरे				अगली बैठक की तारीख जिसमें रजिस्टर को हस्ताक्षर हेतु रखा गया
	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या	पक्ष में मतदान करने वाले निदेशक	विपक्ष में मतदान करने वाले निदेशक	तटस्थ रहने वाले निदेशक	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
हस्ताक्षर	टिप्पणियां यदि कोई हो				
(13)	(14)				

(ग) धारा 184 की उपधारा (1) में उल्लिखित निगमित निकायों, फर्मों या अन्य संगमों का नाम, जिसमें निदेशक का कोई सरोकार या हित है

कंपनीव्यक्तियों के समूहों/निगमित निकाय/ के नाम	संबद्ध निदेशक का नाम	हित या सरोकार की प्रकृति हित या सरोकार में परिवर्तन	शेयर धारिता/हिस्सेदारी (यदि कोई हो)	जिस तारीख को हित या सरोकार उत्पन्न/परिवर्तन हुआ

हस्ताक्षरः

स्थानः प्रबंधनिदेशक/निदेशक/सचिव/पूर्णकालिक निदेशक

तारीखः

[फा. सं. 1/32/2013-सीएल.V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 240 (E).—In exercise of powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other Rules prescribed under the Companies Act, 1956 on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Companies Act, 2013;

(b) "Annexure" means the Annexure appended to these rules;

(c) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;

(d) "Form" or "e-Form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;

(e) "section" means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said Rules.

3. Meetings of Board through video conferencing or other audio visual means.- A company shall comply with the following procedure, for convening and conducting the Board meetings through video conferencing or other audio visual means.

(1) Every Company shall make necessary arrangements to avoid failure of video or audio visual connection.

(2) The Chairperson of the meeting and the company secretary, if any, shall take due and reasonable care-

(a) to safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures;

(b) to ensure availability of proper video conferencing or other audio visual equipment or facilities for providing transmission of the communications for effective participation of the directors and other authorised participants at the Board meeting;

(c) to record proceedings and prepare the minutes of the meeting;

(d) to store for safekeeping and marking the tape recording(s) or other electronic recording mechanism as part of the records of the company at least before the time of completion of audit of that particular year.

(e) to ensure that no person other than the concerned director are attending or have access to the proceedings of the meeting through video conferencing mode or other audio visual means; and

(f) to ensure that participants attending the meeting through audio visual means are able to hear and see the other participants clearly during the course of the meeting:

Provided that the persons, who are differently abled, may make request to the Board to allow a person to accompany him.

(3) (a) The notice of the meeting shall be sent to all the directors in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 173 of the Act.

(b) The notice of the meeting shall inform the directors regarding the option available to them to participate through video conferencing mode or other audio visual means, and shall provide all the necessary information to enable the directors to participate through video conferencing mode or other audio visual means.

(c) A director intending to participate through video conferencing or audio visual means shall communicate his intention to the Chairperson or the company secretary of the company.

(d) If the director intends to participate through video conferencing or other audio visual means, he shall give prior intimation to that effect sufficiently in advance so that company is able to make suitable arrangements in this behalf.

(e) The director, who desire, to participate may intimate his intention of participation through the electronic mode at the beginning of the calendar year and such declaration shall be valid for one calendar year.

(f) In the absence of any intimation under clause (c), it shall be assumed that the director shall attend the meeting in person.

(4) At the commencement of the meeting, a roll call shall be taken by the Chairperson when every director participating through video conferencing or other audio visual means shall state, for the record, the following namely:-

(a) name;

(b) the location from where he is participating;

(c) that he has received the agenda and all the relevant material for the meeting; and

(d) that no one other than the concerned director is attending or having access to the proceedings of the meeting at the location mentioned in clause (b);

(5) (a) After the roll call, the Chairperson or the Company Secretary shall inform the Board about the names of persons other than the directors who are present for the said meeting at the request or with the permission of the Chairperson and confirm that the required quorum is complete.

Explanation.- A director participating in a meeting through video conferencing or other audio visual means shall be counted for the purpose of quorum, unless he is to be excluded for any items of business under any provisions of the Act or the rules.

(b) The Chairpersonshall ensure that the required quorum is present throughout the meeting.

(6) With respect to every meeting conducted through video conferencing or other audio visual means authorised under these rules, the scheduled venue of the meeting as set forth in the notice convening the meeting, which shall be in India, shall be deemed to be the place of the said meeting and all recordings of the proceedings at the meeting shall be deemed to be made at such place.

(7) The statutory registers which are required to be placed in the Board meeting as per the provisions of the Act shall be placed at the scheduled venue of the meeting and where such registers are required to be signed by the directors, the same shall be deemed to have been signed by the directors participating through electronic mode, if they have given their consent to this effect and it is so recorded in the minutes of the meeting.

(8) (a) Every participant shall identify himself for the record before speaking on any item of business on the agenda.

(b) If a statement of a director in the meeting through video conferencing or other audio visual means is interrupted or garbled, the Chairperson or Company Secretary shall request for a repeat or reiteration by the Director.

(9) If a motion is objected to and there is a need to put it to vote, the Chairperson shall call the roll and note the vote of each director who shall identify himself while casting his vote.

(10) From the commencement of the meeting and until the conclusion of such meeting, no person other than the Chairperson, Directors, Company Secretary and any other person whose presence is required by the Board shall be allowed access to the place where any director is attending the meeting either physically or through video conferencing without the permission of the Board.

(11) (a) At the end of discussion on each agenda item, the Chairperson of the meeting shall announce the summary of the decision taken on such item along with names of the directors, if any, who dissented from the decision taken by majority.

(b) The minutes shall disclose the particulars of the directors who attended the meeting through video conferencing or other audio visual means.

(12) (a) The draft minutes of the meeting shall be circulated among all the directors within fifteen days of the meeting either in writing or in electronic mode as may be decided by the Board.

(b) Every director who attended the meeting, whether personally or through video conferencing or other audio visual means, shall confirm or give his comments in writing, about the accuracy of recording of the proceedings of that particular meeting in the draft minutes, within seven days or some reasonable time as decided by the Board, after receipt of the draft minutes failing which his approval shall be presumed.

(c) After completion of the meeting, the minutes shall be entered in the minute book as specified under section 118 of the Act and signed by the Chairperson.

Explanation.-For the purposes of this rule, "video conferencing or other audio visual means" means audio- visual electronic communication facility employed which enables all the persons participating in a meeting to communicate concurrently with each other without an intermediary and to participate effectively in the meeting.

4. Matters not to be dealt with in a meeting through video conferencing or other audio visual means.-(1) The following matters shall not be dealt with in any meeting held through video conferencing or other audio visual means.-

(i) the approval of the annual financial statements;

(ii) the approval of the Board's report;

(iii) the approval of the prospectus;

(iv) the Audit Committee Meetings for consideration of accounts; and

(v) the approval of the matter relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition and takeover.

5. Passing of resolution by circulation.- A resolution in draft form may be circulated to the directors together with the necessary papers for seeking their approval, by electronic means which may include E-mail or fax.

6. Committees of the Board.-The Board of directors of every listed companies and the following classes of companies shall constitute an Audit Committee and a Nomination and Remuneration Committee of the Board-

(i) all public companies with a paid up capital of ten crore rupees or more;

(ii) all public companies having turnover of one hundred crore rupees or more;

(iii) all public companies, having in aggregate, outstanding loans or borrowings or debentures or deposits exceeding fifty crore rupees or more.

Explanation.- The paid up share capital or turnover or outstanding loans, or borrowings or debentures or deposits, as the case may be, as existing on the date of last audited Financial Statements shall be taken into account for the purposes of this rule.

7. Establishment of vigil mechanism.-(1) Every listed company and the companies belonging to the following class or classes shall establish a vigil mechanism for their directors and employees to report their genuine concerns or grievances-

(a) the Companies which accept deposits from the public;

(b) the Companies which have borrowed money from banks and public financial institutions in excess of fifty crore rupees.

(2) The companies which are required to constitute an audit committee shall oversee the vigil mechanism through the committee and if any of the members of the committee have a conflict of interest in a given case, they should recuse themselves and the others on the committee would deal with the matter on hand.

(3) In case of other companies, the Board of directors shall nominate a director to play the role of audit committee for the purpose of vigil mechanism to whom other directors and employees may report their concerns.

IndiaCode

(4) The vigil mechanism shall provide for adequate safeguards against victimisation of employees and directors who avail of the vigil mechanism and also provide for direct access to the Chairperson of the Audit Committee or the director nominated to play the role of Audit Committee, as the case may be, in exceptional cases.

(5) In case of repeated frivolous complaints being filed by a director or an employee, the audit committee or the director nominated to play the role of audit committee may take suitable action against the concerned director or employee including reprimand.

8. Powers of Board.-In addition to the powers specified under sub-section (3) of section 179 of the Act, the following powers shall also be exercised by the Board of Directors only by means of resolutions passed at meetings of the Board.-

(1) to make political contributions;

(2) to appoint or remove key managerial personnel (KMP);

(3) to take note of appointment(s) or removal(s) of one level below the Key Management Personnel;

(4) to appoint internal auditors and secretarial auditor;

(5) to take note of the disclosure of director's interest and shareholding;

(6) to buy, sell investments held by the company (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;

(7) to invite or accept or renew public deposits and related matters;

(8) to review or change the terms and conditions of public deposit;

(9) to approve quarterly, half yearly and annual financial statements or financial results as the case may be.

9. Disclosures by a director of his interest.-(1) Every director shall disclose his concern or interest in any company or companies or bodies corporate (including shareholding interest), firms or other association of individuals, by giving a notice in writing in Form MBP 1.

(2) It shall be the duty of the director giving notice of interest to cause it to be disclosed at the meeting held immediately after the date of the notice.

(3) All notices shall be kept at the registered office and such notices shall be preserved for a period of eight years from the end of the financial year to which it relates and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorised by the Board for the purpose.

10. Loans to Director etc. under section 185.-(1) Any loan made by a holding company to its wholly owned subsidiary company or any guarantee given or security provided by a holding company in respect of any loan made to its wholly owned subsidiary company is exempted from the requirements under this section; and

(2) Any guarantee given or security provided by a holding company in respect of loan made by any bank or financial institution to its subsidiary company is exempted from the requirements under this section:

Provided that such loans made under sub-rule(1) and (2) are utilised by the subsidiary company for its principle business activities.

11. Loan and investment by a company under section 186 of the Act.- (1) Where a loan or guarantee is given or where a security has been provided by a company to its wholly owned subsidiary company or a joint venture company, or acquisition is made by a holding company, by way of subscription, purchase or otherwise of, the securities of its wholly owned subsidiary company, the requirement of sub-section (3) of section 186 shall not apply:

Provided that the company shall disclose the details of such loans or guarantee or security or acquisition in the financial statement as provided under sub-section (4) of section 186.

(2) For the purposes of clause (a) of sub-section (11) of section 186, the expression "business of financing of companies" shall include, with regard to a Non-Banking Financial Company registered with the Reserve Bank of India, "business of giving of any loan to a person or providing any guaranty or security for due repayment of any loan availed by any person in the ordinary course of its business".

(3) No company registered under section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and also covered under such class or classes of companies which may be notified by the Central Government in consultation with the Securities and Exchange Board, shall take any inter-corporate loan or deposits, in excess of the limits specified under the regulations applicable to such company, pursuant to which it has obtained certificate of registration from the Securities and Exchange Board of India.

12.Register.-(1) Every company giving loan or giving guarantee or providing security or making an acquisition of securities shall, from the date of its incorporation, maintain a register in Form MBP 2 and enter therein separately, the particulars of loans and guarantees given, securities provided and acquisitions made as aforesaid.

(2) The entries in the register shall be made chronologically in respect of each such transaction within seven days of making such loan or giving guarantee or providing security or making acquisition.

(3) The register shall be kept at the registered office of the company and the register shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorised by the Board for the purpose.

(4) The entries in the register (either manual or electronic) shall be authenticated by the company secretary of the company or by any other person authorised by the Board for the purpose.

(5) For the purpose of sub-rule (4), theregister can be maintained either manually or in electronic mode.

(6) Theextracts from the register maintained under sub-section (9) of section 186 may be furnished to any member of the company on payment of such fee as may be prescribed in the Articles of the company which shall not exceed ten rupees for each page.

13. Special Resolution.-(1) Where the aggregate of the loans and investment so far made, the amount for which guarantee or security so far provided to or in all other bodies corporate along with the investment, loan, guarantee or security proposed to be made or given by the Board, exceed the limits specified under section 186, no investment or loan shall be made or guarantee shall be given or security shall be provided unless previously authorised by a special resolution passed in a general meeting.

*Explanation.***-**For the purpose of this sub-rule, it is clarified that it would sufficient compliance if such special resolution is passed within one year from the date of notification of this section.

(2) A resolution passed at a general meeting in terms of sub-section (3) of section 186 to give any loan or guarantee or investment or providing any security or the acquisition under sub section (2) of section 186 shall specify the total amount up to which the Board of Directors are authorised to give such loan or guarantee, to provide such security or make such acquisition:

Provided, that the company shall disclose to the members in the financial statement the full particulars in accordance with the provision of sub-section (4) of section 186.

14. Investments of company to be held in its own name.-(1) Every company shall, from the date of its registration, maintain a register in Form MBP3 and enter therein, chronologically, the particulars of investments in shares or other securities beneficially held by the company but which are not held in its own name and the company shall also record the reasons for not holding the investments in its own name and the relationship or contract under which the investment is held in the name of any other person.

(2) The company shall also record whether such investments are held in a third party's name for the time being or otherwise.

(3) The register shall be maintained at the registered office of the company. The register shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or if there is no company secretary, any director or any other officer authorised by the Board for the purpose.

(4) The entries in the register shall be authenticated by the company secretary of the company or by any other person authorised by the Board for the purpose.

15. Contract or arrangement with a related party.-A company shall enter into any contract or arrangement with a related party subject to the following conditions, namely:-

(1) The agenda of the Board meeting at which the resolution is proposed to be moved shall disclose-

(a) the name of the related party and nature of relationship;

(b) the nature, duration of the contract and particulars of the contract or arrangement;

(c) the material terms of the contract or arrangement including the value, if any;

(d) any advance paid or received for the contract or arrangement, if any;

(e) themanner of determining the pricing and other commercial terms, both included as part of contract and not considered as part of the contract;

(f) whether all factors relevant to the contract have been considered, if not, the details of factors not considered with the rationale for not considering those factors; and

(g) any other information relevant or important for the Board to take a decision on the proposed transaction.

(2) Where any director is interested in any contract or arrangement with a related party, such director shall not be present at the meeting during discussions on the subject matter of the resolution relating to such contract or arrangement-

(3) For the purposes of first proviso to sub-section (1) of section 188, except with the prior approval of the company by a special resolution-

(i) a company having a paid-up share capital of ten crore rupeesor more shall not enter into a contract or arrangement with any related party; or

(ii) a company shall not enter into a transaction or transactions, where the transaction or transactions to be entered into—

(a) as contracts or arrangements with respect to clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 188 with criteria, as mentioned below—

(i) sale, purchase or supply of any goods or materials directly or through appointment of agents exceeding twenty five percent.of the annual turnover as mentioned in clause (a) and clause (e) respectively of sub-section (1) of section 188;

(ii) selling or otherwise disposing of, or buying, property of any kind directly or through appointment of agents exceeding ten percent of net worth as mentioned in clause (b) and clause (e) respectively of sub-section (1) of section 188;

(iii) leasing of property of any kind exceeding ten percent of the net worth or exceeding ten percent of turnoveras mentioned in clause (c) of sub-section (1) of section 188;

(iv) availing or rendering of any services directly or through appointment of agents exceeding ten percent of the net worth as mentioned in clause (d) and clause (e) of sub-section (1) of section 188;

(b) appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company or associate company at a monthly remuneration exceeding two and half lakh rupees as mentioned in clause (f) of sub-section (1) of section 188; or

(c) remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof of the company exceeding one percent of the net worth as mentioned in clause (g) of sub-section (1) of section 188.

Explanation.- (1) The Turnover or Net Worth referred in the above sub-rules shall be on the basis of the Audited Financial Statement of the preceding Financial year.

(2) In case of wholly owned subsidiary, the special resolution passed by the holding company shall be sufficient for the purpose of entering into the transactions between wholly owned subsidiary and holding company.

(3) The explanatory statement to be annexed to the notice of a general meeting convened pursuant to section 101 shall contain the following particulars namely:-

(a) name of the related party ;

(b) name of the director or key managerial personnel who is related, if any;

(c) nature of relationship;

(d) nature, material terms, monetary value and particulars of the contract or arrangement;

(e) any other information relevant or important for the members to take a decision on the proposed resolution.

16. Register of contracts or arrangements in which directors are interested.—(1) Every company shall maintain one or more registers in Form MBP 4, and shall enter therein the particulars of—

(a) company or companies or bodies corporate, firms or other association of individuals, in which any director has any concern or interest, as mentioned under sub-section (1) of section 184:

Provided that the particulars of the company or companies or bodies corporate in which a director himself together with any other director holds two percent or less of the paid-up share capital would not be required to be entered in the register;

(b) contracts or arrangements with a body corporate or firm or other entity as mentioned under sub-section (2) of section 184, in which any director is, directly or indirectly, concerned or interested; and

(c) contracts or arrangements with a related party with respect to transactions to which section 188 applies.

(2) The entries in the register shall be made at once, whenever there is a cause to make entry, in chronological order and shall be authenticated by the company secretary of the company or by any other person authorised by the Board for the purpose.

(3) The register shall be kept at the registered office of the company and the register shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorised by the Board for the purpose.

(4) The company shall provide extracts from such register to a member of the company on his request, within seven days from the date on which such request is made upon the payment of such fee as may be specified in the articles of the company but not exceeding ten rupees per page.

17. Payment to director for loss of office, etc. in connection with transfer of undertaking, property or shares.—(1)No director of a company shall receive any payment by way of compensation in connection with any

event mentioned in sub-section (1) of section 191 unless the following particulars are disclosed to the members of the company and they pass a resolution at a general meeting approving the payment of such amount —

(a) name of the director;
(b) amount proposed to be paid;
(c) event due to which compensation become payable;
(d) date of Board meeting recommending such payment;
(e) basis for the amount determined;
(f) reason or justification for the payment;
(g) manner of payment - whether payable in cash or otherwise and how;
(h) sources of payment; and
(i) any other relevant particulars as the Board may think fit.

(2) Any payment made by a company by way of compensation for the loss of office or as a consideration for retirement from office or in connection with such loss or retirement, to a managing director or whole time director or manager of the company shall not exceed the limit as set out under section 202.

(3) No payment shall be made to the managing director or whole time director or manager of the company by way of compensation for the loss of office or as consideration for retirement from office (other than notice pay and statutory payments in accordance with the terms of appointment of such director or manager, as applicable) or in connection with such loss or retirement if —

(a) the company is in default in repayment of public deposits or payment of interest thereon;

(b) the company is in default in redemption of debentures or payment of interest thereon;

(c) the company is in default in repayment of any liability, secured or unsecured, payable to any bank, public financial institution or any other financial institution;

(d) the company is in default in payment of any dues towards income tax, VAT, excise duty, service tax or any other tax or duty, by whatever name called, payable to the Central Government or any State Government, statutory authority or local authority (other than in cases where the company has disputed the liability to pay such dues);

(e) there are outstanding statutory dues to the employees or workmen of the company which have not been paid by the company (other than in cases where the company has disputed the liability to pay such dues); and

(f) the company has not paid dividend on preference shares or not redeemed preference shares on due date.

Explanation : Pending notification of sub-section (1) of section 247 of the Act and finalisation of qualifications and experience of valuers, valuation of stocks, shares, debentures, securities etc. will be conducted by an independent merchant banker who is registered with the Securities and Exchange Board of India or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years.

FORM MBP - 1

Notice of interest by director

[Pursuant to section 184 (1) and rule 9(1)]

To

The Board of Directors

……..Limited

Dear Sir(s)

I,, son/daughter/spouse of ……., resident of …….., being a director in the company hereby give notice of my interest or concern in the following company or companies, bodies corporate, firms or other association of individuals:-

I.

Sl. No.	Names of the Companies/bodies corporate/ firms/ association of individuals	Nature of interest or concern / Change in interest or concern	Shareholding	Date on which interest or concern arose / changed

Signature:

MD/Director/Secretary/Whole time Director

Place:

Date:

Form MBP - 2

Register of loans, guarantee, security and acquisition made by the company

[Pursuant to section186(9) & rule 12(1)]

Nature of transaction (whether loan/ guarantee/ security/acquisition)	Date of making loan/acquisition / giving guarantee/ providing security	Name and address of the person or body corporate to whom it is made or given or whose securities have been acquired (Listed/Unlisted entities)	Amount of loan/ security/acquisition/ guarantee	Time period for which it is made/ given	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Purpose of loan/acquisition/ guarantee/ security	% of loan/acquisition/ exposure on guarantee/ security provided to the paid up capital, free reserves and securities premium account and % of free reserves and securities premium	Date of passing Board resolution	Date of passing special resolution, if required	For loans	
				Rate of interest	Date of maturity

(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
For acquisitions						
Number and kind of securities	Nominal value and paid up value	Cost of acquisition (in case of securities how the purchased price was arrived at)	Date of selling of investment	Selling price (how the price was arrived at)	Signatures and Remarks	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	

Signature:

MD/Director/Secretary/Whole time Director

Place:

Date:

Form MBP - 3

Register of investments not held in its own name by the company

[Pursuant to section 187(3) and rule 14(1)]

IndiaCode

S. No.	Date of the board resolution authorising such investment	Date of investment	Name of the person/ depository in whose name investment is held	Address and E-mail id of person / depository in whose name investment is held	Purpose of investment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Name of the company or body corporate in which investment is made	Class of securities	Number of securities	Client ID / DP No.	Face value of securities	Paid up value of securities
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Cost of acquisition	Date of disposal	Number of securities disposed off	Sale consideration	Balance securities left, if any	Remarks, if any
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Signature:

MD/Director/Secretary/Whole time Director

Form MBP - 4

Register of contracts with related party and contracts and

Bodies etc. in which directors are interested

[Pursuant to section 189(1) and rule 16(1)]

A. Contracts or agreements with any related party under section 188 or in which any director is concerned or interested under sub- section (2) of section 184

Date of contract / arrangement	Name of the party with which contract is entered into	Name of the interested director	Relation with director/ company/ Nature of concern or interest	Principal terms and conditions	Whether the transaction is at arm's length basis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Date of approval at the meeting of the Board	Details of voting on such resolution				Date of the next meeting at which register was placed for signature
	No. of Directors present in the meeting	Directors voting in favour	Directors voting against	Directors remaining neutral	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Reference of specific items – (a) to (g) under sub-section (1) of section 188	Amount of contract or arrangement.	Date of share holders approval if any	Signature	Remarks, if any	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
.					

B. Name of the bodies corporate, firms or other association of individuals as mentioned under sub-section (1) of section 184, in which any director is having any concern or interest

Names of the Companies /bodies corporate/ firms/ association of individuals	Name of the interested director	Nature of interest or concern / Change in interest or concern	Shareholding (if any)	Date on which interest or concern arose / changed

Signature:

MD/Director/Secretary/Whole time Director

Place :

Date :

[F. No. 1/32/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.